भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 998
(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 मई, 2016 को दिया गया)

सीएसआर के अनुपालन के संबंध में उच्च स्तरीय समिति का प्रतिवेदन

998. श्री संजय राउतः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सीएसआर संबंधी एक उच्च स्तरीय समिति ने कंपनियों द्वारा सीएसआर के अनुपालन के कार्यान्वयन की बेहतर निगरानी हेतु सरकार के समक्ष कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में सीएसआर निधि के उचित कार्यान्वयन के उपायों के संबंध में समिति द्वारा क्या सिफारिशें और सुझाव दिए गए है;
(ग) क्या यह सच है कि विगत दो वर्ष के दौरान कई कंपनियों ने अपनी सीएसआर और निधि को पूरी तरह खर्च नहीं किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) और (ख): कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीतियों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए उपाय सुझाने हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने 22.09.2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। यह रिपोर्ट, समिति की अनुशंसाओं सहित मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) पर सार्वजनिक डोमेन में रखी गई है। समिति की प्रमुख अनुसंशाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं -

- तीन वर्षों के पश्चात् अधिनियम के सीएसआर उपबंधों की समीक्षा करना उचित होगा।
- प्रशासनिक ओवरहेड की लागत अधिकतम सीमा को 5% से बढ़ाकर सीएसआर व्यय के अधिकतम 10% किया जाना चाहिए।
- अधिनियम और नियमों के अधीन प्रयुक्त "निवल लाभ" शब्द की परिभाषा को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

.....2/-

- अधिनियम की धारा 135(1) में अथवा संगत नियम में आवश्यक संशोधन करने के लिए धारा 135(1) में 'किसी वित्तीय वर्ष' के संदर्भ पर पुनर्विचार किया जाए।
- बोर्ड तथा सीएसआर समिति द्वारा उनके अपने स्तर उनकी सीएसआर की निगरानी का प्रबंधन किया जाना चाहिए।
- कंपनियों के सीएसआर व्यय की गुणवत्ता और प्रभावीकारिता की निगरानी में बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।
- सीएसआर निधी में खर्च नहीं की गई अधिशेष राशि को पांच वर्ष के निर्बंधन खंड के साथ अग्रेनीत करने की अनुमति होनी चाहिए जिसके पश्चात् व्यय नहीं की गई अधिशेष राशि को अनुसूची-VII में सूचीबद्ध किसी एक निधि में अंतरित किया जाए।
- वृहत्तर लोकहित के लिए किसी ऐसे कार्यकलाप के लिए जिससे लोक हित पूरा होता हो और/अथवा लोगों की भलाई को बढ़ावा मिलता हो, वंचित वर्गों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखते हुए अधिनियम की अनुसूची-VII में व्यापक खंड जोड़ा जाएगा।

(ग) और (घ): वर्ष 2014-15 कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनियों द्वारा सीएसआर के कार्यान्वयन का पहला वर्ष था। सीएसआर व्यय करने वाली 460 कंपनियों का सीएसआर व्यय, जिन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपना वार्षिक प्रतिवेदन रखा है, यह दर्शाता है कि 51 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा 409 निजी क्षेत्र कंपनियों ने वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर पर कुल 6337 करोड़ रुपए व्यय किए हैं, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है -

वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)

क्रं.सं.	कंपनी का प्रकार	कंपनियों की संख्या	वास्तविक सीएसआर व्यय	अधिदेशित सीएसआर व्यय	उपयोग प्रतिशतता
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	51	2386.60	3359.84	71.03
2	निजी क्षेत्र कंपनियां	409	3950.76	4987.63	79.21
	योग	460	6337.36	8347.47	75.92

*****